राजस्थान सरकार
मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान
टोंक, राजस्थान
01432–247389, मो0नं0–9667489786 ई–मेल–maapri-rj@nic.in

क्रमांकः एफ0 अरबी अनुवाद/एमएएपीआरआई/2021–22/ 1395 दिनांकः 06/8/2021.

विज्ञप्ति

इस निदेशालय में वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए अरबी भाषा के हस्तलिखित ग्रन्थों/दस्तावेजात के अनुवाद कार्य की खुली निविदाएं जाबॅ बेसिस आधार पर निविदा में अंकित विवरणानुसार आमंत्रित की जाती हैः–

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	निविदा फार्म शुल्क	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम दिनांक व समय	निविदा जमा कराने की तिथि	निविदा खोलने की तिथि
01.	संस्थान में अरबी भाषा के हस्तलिखित ग्रंथों का अनुवाद कार्य उर्दू, हिन्दी, अंग्रेजी एवं फ़ारसी भाषाओं से किसी एक भाषा में करना है। (दर प्रति पृष्ठ) 1. अनुवाद कार्य के कागज का साईज–20X26/4 2. मिस्तर– 21 सतरी	02.00 लाख	200/–	2 प्रतिशत की दर से 4000/–	18.08.2021 प्रातः 10.30 बजे तक	18.08.2021 दोपहर : 01.00 बजे तक	20.08.2021 प्रात : 11.00 बजे तक

निविदा प्रपत्र जॉब बेसिस कार्य की निविदा शर्तो सहित किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से निर्धारित शुल्क भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त निविदाओं की विस्तृत जानकारी राज्य सरकार के पोर्टल http://sppp.raj.nic.in तथा संस्थान की वेबसाइट www.maapritonk.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

सलंग्नः– शर्ते एंव निविदा प्रपत्र।

(डॉ0 सौलत अली खान)
निदेशक
मौलाना अबुल कलाम आजाद
अरबी फारसी शोध संस्थान
टोंक, राजस्थान

D:\Office Data Part-I\1\APRI-2018\C.T\Tender Arabic works - final.docx/PANKAJ/8/6/2021

राजस्थान सरकार
मौलाना अबुल कलाम आजाद
अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक, राजस्थान

जॉब बेसिस आधार पर संस्थान में अरबी भाषा के हस्तलिखित ग्रन्थों का फारसी, उर्दू, हिन्दी एंव अंग्रेजी भाषाओं में से किसी एक भाषा में अनुवाद कार्य की शर्ते वर्ष 2021–22

निविदादाताओं को निम्नलिखित शर्तों को सावधानी से पढ़ना एंव समझना तथा निविदा प्रस्तुत करते समय इनका पूर्ण पालन करना अनिवार्य है। यदि निविदादाताओं का निविदा सूचना शर्तो की व्याख्या में किसी प्रकार का संदेह हो तो निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व इस बाबत सक्षम अधिकारी से विस्तृत विवरण प्राप्त किया जा सकता है। सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम होगा। निविदादाता इसे मानने के लिए बाध्य हैं।

1. निविदा विभाग द्वारा जारी किये गये निर्धारित प्रपत्र पर ही स्वीकार की जावेगी।
2. निविदा उचित रूप से सील किये गये लिफाफे में ही स्वीकार की जावेगी। लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में निविदा से संबंधित कार्य का नाम अंकित होना चाहिए।
3. निदेशक, संस्थान को निविदा बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
4. निविदा प्रपत्र एंव शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, जो दरें अंकित की जायेगी वह निविदा फार्म की पूर्ण अवधि तक मान्य होगी और आपसी सहमति से बढायी जा सकेगी।
5. अनुवाद कार्य की अवधि टेण्डर स्वीकृति आदेश प्रसारित होने की तिथि से 31 मार्च, 2022 तक मान्य होगी।
6. हस्तलिखित ग्रन्थ (अरबी भाषा) का अनुवाद कार्य कार्यालय द्वारा गठित कमेटी की अनुशंसा अनुसार करना होगा तथा समय–समय पर राज्य सरकार एंव अधोहस्ताक्षरकर्ता के निर्देशों की पालना करनी अनिवार्य होगी।
7. उपरोक्त कार्य के सम्पादन हेतु कार्मिक को संस्थान में कार्यालय समय में प्रातः 9.30 बजे से सांय 06.00 बजे तक उपस्थित रहकर करना होगा।
8. अनुवाद कार्य हेतु कागज संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। कागज का साईज–20X26/4 व मिस्तर 21 सतरी होगा।
9. दरें अंको व शब्दो दोनो में अंकित की जानी चाहिए इनमें कटिंग नहीं होनी चाहिए। कटिंग होने की स्थिति में हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
10. दरे अनुमोदित होने पश्चात् कार्य आदेश तिथि से दस दिवस में प्रारम्भ करना होगा।
11. जॉब बेसिस आधार पर रखे जाने वाले विद्वान/स्कालर के द्वारा हस्तलिखित ग्रन्थों को हानि पहुंचायी जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
12. अरबी भाषा से संबंधित अनवाद कार्य करने वाले विद्वान/स्कालर को मैन्यूस्क्रिप्ट प्रभारी की निगरानी एंव निर्देशन में उपरोक्त कार्य का सम्पादन करना होगा।
13. अनुवाद कार्य का मिलान निर्देशानुसार नियुक्त संस्थान के कर्मचारी से निविदादाता को स्वंय कराना होगा।
14. निविदादाता द्वारा किये गये अनुवाद कार्य का विवरण सत्यापन हेतु प्रभारी मैन्यूस्क्रिप्ट को प्रत्येक माह की समाप्ति पश्चात तीन दिवस में प्रस्तुत करना होगा। उसके उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही कर जायेगी।
15. जॉब बेसिस कार्य का प्रमाण–पत्र देय नहीं है।

16. संस्थान में अनुवादक (अरबी) की नियमित नियुक्ति होने पर जॉब बेसिस सेवायें समाप्त समझी जावेगी।
17. आदेशित विद्वान/स्कालर अनुबन्ध अनुसार यदि कार्य नहीं करता है तो इसे अनुबन्ध का खण्डन माना जावेगा एंव निदेशक संस्थान को अमानत राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
18. प्रतिभूति राशि निविदा राशि की 5 प्रतिशत होगी। अमानत राशि/प्रतिभूति राशि नियमानुसार नकद/बैकर्स चैक/ड्राफट द्वारा जमा कराई जा सकती है।
19. अमानत राशि/प्रतिभूति राशि के अभाव में निविदा निरस्त समझी जावेगी। प्रतिभूति राशि अनुबन्ध समाप्ति के छः माह पश्चात् लौटा दी जावेगी। इस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
20. निविदादाता को सर्विस टेक्स/आयकर एंव अन्य कर जो राज्य सरकार को देय हो नियमानुसार जमा कराने होगें।
21. समस्त विवाद के लिए न्यायक्षेत्र टोंक होगा।

(डॉ0 सौलत अली खान)
निदेशक
मौलाना अबुल कलाम आजाद
अरबी फारसी शोध संस्थान
टोंक, राजस्थान